महत्वपूर्ण / शीर्षप्राथमिकता

संख्या- 19 / 2015 / 556 / 38-4-15-22(विविध) / 2015

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2015**

विषयः- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में लाभार्थियों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-695 / इ0आ0यो0 / 2015, दिनांक-22 अप्रैल, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत पूर्व में तैयार की गई स्थायी पात्रता सूची के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) प्रदेश में स्थायी पात्रता सूची में कतिपय श्रेणियों यथा-अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक के पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पा रहे है, जिसके कारण पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में सम्मिलित परिवारों को **Split** करते हुए लाभार्थियों को चयनित करना पड़ा था। इस दृष्टिकोण से सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर इन्दिरा आवास के लाभार्थियों का चयन करना प्रदेश के लिए श्रेयकर होगा।

(2) प्रस्तावित प्रणाली में सर्वप्रथम **Exclusion** की प्रक्रिया लगाने की बात की गई है कि जिसमें पक्के घरों में रहने वाले व्यक्तियों के अलावा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के ड्राफ्टनोटिफिकेशन के आधार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आवासविहीन परिवारों की संख्या 10486 तथा कच्चे मकान वाले परिवारों की संख्या 27,71,858 है, जिन्हें आवासीय सुविधा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इन परिवारों में से जो परिवार निम्नलिखित श्रेणियों से आच्छादित हो वे अपने आप सूची से पृथक कर दिये जायेंगे ।

(क) दो हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक काश्तकार / परिवार ।

(ख) चार हेक्टेयर भूमि या उससे अधिक असिंचित भूमि के काश्तकार ।

(ग) ऐसे परिवार जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो ।

2 / -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) ऐसे परिवार जिनके पास पंजीकृत वाहन (2,3,4 पहिया वाले) तथा कोटराइज्य फिशिंग बोट (जिसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो) उपलब्ध हो ।

(च) ऐसे परिवार जो आयकर अथवा व्यवसायकर (इन्कमटैक्स/प्रोफेशनल टैक्स) के भुगतान की सीमा के अन्तर्गत आच्छादित हो अथवा इस प्रकार का कर भुगतान किया हो । अर्थात इनमें से किसी भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को इन्दिरा आवास योजना हेतु अपात्र माना जायेगा ।

3- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन के अर्द्वशा0 पत्र संख्या-606/38-4-2015, दिनांक 06 मई, 2015 के निर्देशानुसार लाभार्थियों के चयन हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आकड़ों के आधार पर सामानय, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति /जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों की अलग-अलग चार प्रकार की सूचियां तैयार की जायेगी ।

4- उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूचियों में उपलब्ध परिवारों को भारत सरकार के आदेश संख्या-जे-11060/03/2015-आरएच (एसी), दिनांक 15 अप्रैल, 2015, के संलग्नक-1 के अनुसार अथवा भारत सरकार द्वारा भविष्य में जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे । यदि एक से अधिक लाभार्थी को बराबर अंक प्राप्त होते है तो प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथम वरीयता कम भूमि वाले को दी जायेगी, यदि भूमि बराबर है तो कम आय वाले को वरीयता दी जायेगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार इन्दिरा आवास के लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 19/2015/556 (1)/38-4-2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 शासन ।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 ।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0 प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
7- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0 प्र0 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in